फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण | अप्रार्थीगण

इलमुदीन वगेरहा बनाम **मुनीरदीन** वगैरह

रण : राजस्व प्रार्थना पत्र | मुकदमा नं. 66 / 2022

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
06 / 2022	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री मुकेश बिडियासर ने पेश किया। बहस वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीयं सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे मामला पृथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। ग्राम पातेली के ख.न. 139 रकबा 3.5369 हैक्टेयर, ख.न. 213 रकबा 1.5378 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे काश्त व राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन तथा भूमि का बैचान हस्तान्तरण यदि होता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी पक्ष को होगी। मुदवादिया भूमि पक्षकारान की बडेर की होने से मामला प्रथम दृष्टयां हक घोषणा खातेदारी का प्रतीत होता है जिसमें प्रार्थीगण का हित निहित है। तथा उक्त भूमि का बिना विधिवत् बंटवारे के बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्षकारान् को होगी। अतः उभय पक्षकारान् को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि ग्राम पातेली के ख.न. 139 रकबा 3.5369 हैक्टेयर, ख.न. 213 रकबा 1.5378 हैक्टेयर भूमि का बैचान, हस्तान्तरण रहन दान आगामी आदेश तक नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थी सं. 2 व 3 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा बैचान हस्तांतरण दान रहन आदि तस्दीक नहीं करे । अप्रार्थीगण को जबाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के तहत पक्षकारों की तलबी हेतु सम्मन मय रजिस्ट्रड डाक खर्च के साथ पेश करें। पत्रावली दिनांक 9/8/22 को पेश हो। (सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल)	M/
9/8/22	पक्षकार/पक्षकारान के प्रतिनिधि ... पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/अवकाश पर होने से, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 29/8/22 को पेश करें।	
29/8/22	वकील प्रार्थी उप. ... वकील अप्रार्थी 1 की ओर से वकील ... उप। जवाब हेतु समय चाहा समय दिया जाता है। अप्रार्थी स. 2 व 3 की तामील इंतजार होकर दि. 12/9/22 को पेश हो। (सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:18 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म		अहकाम हुक्म की में जारी
12/9/22	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता जवाब पेश हुआ। पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 28/9/2022 को प्रस्तुत करें।	
28/09/22	वकुलाय उभयगान तारीख पेशी पर आप्रार्थी नं. 1 की ओर प्रस्तुत जवाब रिकार्ड पर लिया गया। बहस वकील फरीकेन सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दि 29/9/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
29/9/22	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता बार संघ का कार्य स्थगन पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 4/10/22 को प्रस्तुत करें।	
4/10/22	पत्रावली प्रस्तुत। वकील फरीकेन उप। प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 R.T. Act का सारहीन। मिथ्या एवं स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। मिसल निर्णय नम्बर से कम होकर बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:18 IST
Reason: SelfAttested

हरीकिशन बनाम गरीबाराम अन्य
जीसीएमएस न. 2021/351
प्रकरण सं. 60/2021

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास–सुनील कुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थी :– मुकदमा नं. 60/2021

1. हरीकिशन पुत्र मानाराम
2. भूराराम पुत्र मानाराम
3. नाथाराम पुत्र हीराराम

जाति जाट निवासी रूपाथल तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. गरीब राम पुत्र मुगनराम जाति जाट निवासी खिंयाला तहसील जायल जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. अधिवक्ता श्री गोपाल गोदारा प्रार्थीगण की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री चन्द्राराम बिडियासर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित।

– : : निर्णय : : –

दिनांक 4/10/2022

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण सं. 1 व 2 के कब्जा काश्त व सहखातेदारी का खेत ख.न. 622 रकबा 1.6187 हैक्टेयर का तथा प्रार्थी सं. 3 के कब्जो काश्त व खातेदारी का को खेत ख.न. 621 रकबा 1.9020 हैक्टेयर वाके मौजा रूपाथल में आया हुआ है। प्रार्थी सं. 1 व 2 सहखातेदारी खेत ख.न. 622 के चिपता ही दक्षिण में अप्रार्थी सं. 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी का खेत ख.न. 609 रकबा 7.6647 हैक्टेयर आया हुआ है।, उसके चिपता ही दक्षिणी तरफ कुचेरा से कसनाऊ जाने वाली सड़क स्थित है, और प्रार्थी सं. 3 का खेत ख.न. 621 जो की प्रार्थीगण सं. 1 व 2 के खेत ख.न. 622 के चिपता पश्चिम में स्थित है। प्रार्थीगण के खेत ख.न. 621 व 622 के दक्षिण में अप्रार्थी सं. 1 का खेत आया हुआ है तथा उसके दक्षिण में कुचेरा से कसनाऊ जाने वाली सड़क स्थित है। प्रार्थी सं. 1 व 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

आने खेत मे आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.न. 609 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे 12 फुट चौडा रास्ते से आवगमन करता रहा है। इसी प्रकार प्रार्थी भी अप्रार्थी गरीब राम के खेत की पूवी माठ के सहारे सहारे होकर प्रार्थी सं. 1 व 2 के सहाखातेदारी के खेत ख.न. 622 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे होकर अपने खेत मे आवगमन करता रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ग्राम कुचेरा से कसनाऊ जाने वाली सड़क से फंटकर की अप्रार्थी के खेत ख.न. 609 की पूर्वी की माठ के सहारे सहारे ही प्रार्थीगण अपने मे आ जा सकते है। जिसे नजरी नक्सा में मार्क ए.बी. सी दर्शाया गया हैं। अप्रार्थी के खेत मे से रास्ता सबसे कम दूरी का रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थीगण सदेव से इसी रास्ते का उपभोग व उपयोग करते आ रहे है परंतु अब अप्रार्थी किसी अन्य के बहकावे मे आकर उक्त रास्ते से प्रार्थीगण को आवाजाही करने से नहीं करने हेतु कह रहा है तथा टंटा फसाद करने को आमादा है। अप्रार्थी द्वारा रास्ते से आवाजाही से मना करने व रास्ते का बन्द करने की कोशिश की जा रही है। यदि अप्रार्थी उक्त रास्ते का बन्द कर देता है तो प्रार्थी का अपने खेत मे आना जाना बन्द हो जायेगा तथा वह काश्त करसण भी नहीं कर पायेगा। जिससे प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र के साथल प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शाये गये अनुसार ख.न. 609 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे तथा फिर ख.न. 622 की दक्षिणी माठे सहारे सहारे रास्ता घोषित किया जावे। प्रार्थी के खेत मे आने जाने कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है तथा ना की कोई वैकलिप्क रास्ता होने से वर्तमान मे प्रार्थी का अपने खेत मे आवागमन बन्द है। अत प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शा मे मार्क ए बी स्थान से रास्ता घेषित किया जावें। नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता ही सबसे कम दुरी का व सबसे उपयुक्त रास्ता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्सानुसार ख.न. 586 में आने जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.न. 587 मे से नजरी नक्शा में दर्शाये गये रास्ता मार्क ऐ से बी तक का रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज किये जाने बाबत आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 को जवाब हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील श्री [illegible] ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पेश कथन किया कि प्रार्थीगण के खेताय के [illegible] उनके भाईयों के खेताय भी स्थित है जिनका प्रार्थना पत्र मे अंकन नहीं [illegible] खेताय मे जाने के लिए एक मात्र रास्ता अप्रार्थी के खेत मे से कभी नहीं रहा है। प्रार्थीगण के दीगर भाईयों के पुश्तैनी भूमि के बंट के समय से ही खेत ख.न. 1034 / 624 व [illegible]92 / 1 इन्ही खेताय में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

प्रार्थीगण अपने खेत मे आता जाता रहा है। जिसका प्रार्थना पत्र मे उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थीगण अपने खेत मे आने जाने के लिए सडक कुचेरा से कसनाऊ से फंटकर ख.न. 692/1 मे से ख.न. 1034/624 में प्रवेश कर ख.न. 622 मे प्रवेश करते है, तथा उसके बाद प्रार्थी सं. 3 ख.न. 622 मे से अपने खेत में प्रवेश करता है। प्रार्थीगण के खेत ख.न. 622 व 621 मे आने जाने गाडी छकडा लाने व ले जाने हेतु एक मात्र नजदीक सुगम व लघुतम रास्ता पुश्तैनी खेताय अपने दीगर भाईयों के खेताय ख.न. 1034/624 व 692/1 में से रहा है। अप्रार्थी सं. 1 के खेत मे से कभी रास्ता नहीं रहा है, जिससे प्रार्थीगण को आने जाने से मना करने एवं टंटा फसाद करने के तथ्य मिथ्या एवं मनगढत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार जायल द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2021 को मौके पर तैयार की जाकर प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खेत ख.न. 1086/622, 1087/622 व 621 में आने जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण खेम ख.न. 1035/624, 692/1, व 1034/624 खसरो की पश्चिमी सींव के पास पास होकर अपने खेतो मे आते जाते है। मौके पर इन खसरो में से प्रार्थीगण द्वारा रास्ता का उपयोग करने बाबत निशानात मौजुद है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कटाणी रास्ते से सबसे नजदीक रास्ता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। ख.न. 609 की पूर्वी माठ पर 255 फुट लम्बाई मे 03 फिट उंचाई में पत्थरों की सुखी चिनाई की दीवार बनाई हुई है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से जवाब प्रा.पत्र एवं अप्रार्थी सं. 2 परफोर्मा पक्षकार होने से तथा हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है जो संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding)का होने हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम हेतु तारीख नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों की पुनरावृती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा ना ही कोई कटाणी रास्ता लगता है। मौका रिपोर्ट मे भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता को ही सबसे कम दुरी का रास्ता होना बताया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर माफिक नजरी नक्सानुसार रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये जावे।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत ख.न. 609 मे से कभी रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण के खेताय मे जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता ख.न. 692/1, 1034/624 की सीमा से रास्ता आया है जिसका प्रार्थीगण उपयोग भी कर रहे है तथा मौका रिपोर्ट मे भी इन खसरान मे रास्त होने बाबत आलामात होने का कथन किया है। ख.न. 692/1 व 1034/624 प्रार्थीगण के बडरे के खेताय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

रहते आये है तथा इन खसरान में रास्ता होने के तथ्य को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिल खारिज है। मौके पर रास्ता चलने बाबत दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत रंगीन फोटोग्राफ की ओर ध्यान दिलाया है जिसके अवलोकन से रास्ते के आलामात मौजुद होने का कथन किया है। वकील अप्रार्थी की ओर से यह भी ख.न. 609 की भूमि बैक के नाम रहन है तथा प्रार्थीगण द्वारा बैंक को आवश्यक पक्षकार होने पर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में गतल तथ्य बताकर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिस की गई है। प्रार्थीगण के खेताय मे जाने के लिऐ वैकल्पिक रास्ता मौजुद होने से प्रार्थीण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी ने वकील अप्रार्थी की बहस पर पुनःकथन किया अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ्स बनावटी होने का कथन करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया गया।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के खेत ख.न. 621 व 1086/622 व 1087/622 मे आने जाने के लिए प्रार्थी के कथनानुसार कटाणी या वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है तथा प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत ख.न. 609 मे से कटाणी रास्ता से फटकर ही आवगमन हेतु सबसे नजदीक रास्ता है। तहसीलदार जायल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे भी प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते को ही सबसे नजदीक एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का कथन किया गया है साथ यह भी उल्लेखित किया है कि वर्तमान मे प्रार्थीगण अपने खेताय मे आने जाने के लिये कुचेरा से कसनाऊ जाने वाली सड़क से फंटकर ख.न. 692/1 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे होकर ख.न. 1034/624 की पश्चिमी सींव के सहारे सहारे अपने खेत में आवागमन करते है। जिसके मौके पर आलामात मौजुद है। अप्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान मे उपयोग लिये जा रहे रास्ता की भूमि प्रार्थीगण के बडेर के खेताय की भूमि रही है तथा अब प्रार्थीगण के दीगर भाईयों की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र इस रास्ते के उपयोग मे लेने बाबत कोई कथन भी नहीं किया गया है। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न फोटोग्राफ्स के अवलोकन से भी खेत ख.न. 692/1 व 1034/624 मे रास्ते के अलामात मौजदु होने की पुष्टी होती है। जिसका वर्तमान मे प्रार्थीगण द्वारा उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खेताय आने जाने के लिये सबसे नजदीक रास्ता ख.न. 609 मे मार्क ए–बी–सी–डी है, तथा मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण के द्वारा अपने खेताय मे आने जाने के लिए रास्ता बताया है [illegible] खेताय के खातेदारों द्वारा बन्द किया हुआ है जिससे प्रार्थी का अपने [illegible] बन्द हो गया हैं। प्रार्थी रास्ते के अभाव मे अपने खेताय में काश्त करने [illegible] पा रहा है जिस कारण प्रार्थी को प्रार्थी को अपने खेताय में आना जाने बाबत रास्ते [illegible] अभाव व रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

उपरोक्त विवेचन पश्चात न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत ख.न. 1086/622, 1087/622 तथा 621 मे आने जाने बाबत अप्रार्थी के ख.न. 609 की पूर्वी माठ पर से रास्ते से प्रार्थी का आना जाना नहीं रहा है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने बडेर के खेताय रहकर अपने दीगर भाईयों के बंट में आये खेताय ख.न. 692/1 व 1034/624 की पश्चिमी माठ से रास्ता उपयोग लिया जा रहा था, को संबंधित खेताय के खातेदारों के द्वारा बाड व तारबन्दी करके बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थी का अपने खेताय मे आना जाना बन्द हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा ख.न. 692/1 व 1034/624 के खातेदारो को पक्षकारन नहीं बनाया गया है तथा अब पक्षकार बनाकर सुनवाई की जाती है तो प्रकरण मे न्यायनिर्णय में अनावश्यक देरी होगी। अतः प्रार्थी का अपने खेताय मे आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा मौका रिपोर्ट मे ख.न. 609 मे से प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी व ख.न. 1087/622 ख.न. 1086/622 मे से सी से डी नजदीक रास्ता होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

— : : आदेश : : —

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से मार्ग का अभाव व आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रूपाथल मे प्रार्थीगण के खेत ख0न0 621 मे आने जाने के लिए ख.न. 609 की पूर्वी मे सहारे सहारे, ख.न. 1087/622 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे तथा ख.न. 1086/622 की दक्षिणी माठ के सहारे मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2022 में लाल स्याही से वर्णित मार्क ए–बी–सी–डी (मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित तकमीना) अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। रास्ते हेतु उपयोग मे आने वाली के ऐवज मे प्रतिकर बाबत प्रभावित खातेदारान को प्रार्थीगण से भूमि की वर्तमान प्रचलित बाजार दर से 02 गुना राशि भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करे। माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करें। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णय नम्बर से कम होकर बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे।

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:18 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 4/10/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

उपरोक्त विवेचन पश्चात न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत ख.न. 1086 / 622, 1087 / 622 तथा 621 मे आने जाने बाबत अप्रार्थी के ख.न. 609 की पूर्वी माठ पर से रास्ते से प्रार्थी का आना जाना नहीं रहा है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने बडेर के खेताय रहकर अपने दीगर भाईयों के बंट में आये खेताय ख.न. 692 / 1 व 1034 / 624 की पश्चिमी माठ से रास्ता उपयोग लिया जा रहा था, को संबंधित खेताय के खातेदारों के द्वारा बाड व तारबन्दी करके बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थी का अपने खेताय मे आना जाना बन्द हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा ख.न. 692 / 1 व 1034 / 624 के खातेदारो को पक्षकारन नहीं बनाया गया है तथा अब पक्षकार बनाकर सुनवाई की जाती है तो प्रकरण मे न्यायनिर्णय में अनावश्यक देरी होगी। अतः प्रार्थी का अपने खेताय मे आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा मौका रिपोर्ट मे ख.न. 609 मे से प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी व ख.न. 1087 / 622 ख.न. 1086 / 622 मे से सी से डी नजदीक रास्ता होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

– ::: आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से मार्ग का अभाव व आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रूपाथल मे प्रार्थीगण के खेत ख0न0 621 मे आने जाने के लिए ख.न. 609 की पूर्वी मे सहारे सहारे, ख.न. 1087 / 622 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे तथा ख.न. 1086 / 622 की दक्षिणी माठ के सहारे मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2022 में लाल स्याही से वर्णित मार्क ए–बी–सी–डी (मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित तकमीना) अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। रास्ते हेतु उपयोग मे आने वाली के ऐवज मे प्रतिकर बाबत प्रभावित खातेदारान को प्रार्थीगण से भूमि की वर्तमान प्रचलित बाजार दर से 02 गुना राशि भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करे। माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करें। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णय नम्बर से कम होकर बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे।

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:18 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 4.10.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल